Samagra Shiksha समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा अभियान

(सेकेण्ड्री एजुकेशन)

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/समग्र शि.अ. /कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर/2025–26/174 भोपाल, दिनांक 09/07/2025

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना अंतर्गत इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एवं अन्य संबंधित विषय में आवश्यक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में।

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत गत सत्र 2024–25 में समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के लिए GFMS स्कोर कार्ड धारी आवेदकों को विद्यालय द्वारा आमंत्रित करने की कार्यवाही विमर्श पोर्टल के माध्यम से की गई थी :–

तलिका–1

क्र	योजना	विषय
1	समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री अंतर्गत आईसीटी लैब	कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर
2	समग्र शिक्षा	स्पेशल एजुकेटर
3	पीएमश्री	प्री–प्राईमरी अतिथि शिक्षक
4	पीएमश्री	स्पोर्ट्स अतिथि शिक्षक

2. उक्त तालिका के अनुसार विमर्श पोर्टल में उपलब्ध गत सत्र 2024–25 में कार्यरत आवेदकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS में दर्ज की जा चुकी है।
3. समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री की वार्षिक कार्ययोजना 2025–26 में प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में तालिका–1 में प्रदर्शित पदों पर गतवर्ष कार्यरत व्यक्तियों की वर्ष 2025–26 में उपस्थिति (Joining) कराने संबंधी कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS के माध्यम से निम्नलिखित समयसारिणी के अनुसार की जाए –

तलिका–2

क्र	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	पोर्टल पर विद्यालयों का प्रदर्शन जिनमें गत सत्र 2024–25 में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, प्री–प्राईमरी/स्पोर्ट्स अतिथि शिक्षक कार्यरत थे।	राज्य स्तर से	11.07.2025 तक
2	सत्र 2024–25 मे तलिका–1 के अनुसार कार्यरत व्यक्ति (जिनके पास एजुकेशन पोर्टल 3.0 GFMS स्कोर कार्ड हो) के द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 के GFMS पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	14.07.2025 से 16.07.2025 तक
3	उपस्थिति रिक्वेस्ट का शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना।	शाला प्रभारी द्वारा	14.07.2025 से 17.07.2025 तक

4. तालिका–2 में उल्लेखित समयसारिणी के अनुसार गतवर्ष कार्यरत आवेदक के द्वारा दर्ज रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी के प्रमाणीकरण उपरांत उपस्थित कराया जाए तथा कार्यवाही को एस.एम.डी.सी की बैठक में अनुमोदित किया जाए।
5. आईसीटी कम्प्यूटर लैब के स्थापित एवं संचालित होने की स्थिति में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाये।
6. विद्यालय जिनमें गतवर्ष कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, प्री–प्राईमरी/स्पोर्ट्स अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे, उन विद्यालय में संबंधित पदों पर आमंत्रण के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(मनीषा सेंतिया)
अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्डरी)

क्रमांक / समग्र शि.अ. / कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर / 2025–26 / 175 भोपाल, दिनांक 09/07/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
6. महाप्रबंधक, निक्सी विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनमें पत्र में उल्लेखित तालिका के अनुसार योजनाएं संचालित है।

अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्डरी)